
	<p>नेशनलसीड्सकॉर्पोरेशनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509-223873 ई-मेल csfsuratgarh@gmail.com</p>	<p>NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar Phone : 01509-223873</p>	
---	--	--	---

सी.एस.एफ./एसओजी/2-185/कृषि/2021-22/

दिनांक: 17.05.2021

निविदा-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ जिला श्री गंगानगर में स्थित खण्ड 2 व 3 के विभिन्न चको की 07 कच्ची/पक्की डिग्गीयो मे मछली पालने व पकडकर बेचने का कार्य करने के लिए अल्पकालिन खुली बोली/निविदाएं दिनांक 25.5.2021 को 1.00 बजे तक आंमत्रित की जाती है जो कि उसी दिन सांय 2.30 बजे खोली जायेंगी। निविदा में भाग लेने के लिए डिग्गीयो के लिये अमानत राशि रूपये 10000.00(दस हजार रूपये) प्रत्येक डिग्गी व रूपये 236/ टेडण्डर फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सूरतगढ के नाम देय हो, जो कार्य दिवस मे फार्म खजांची के पास जमा कराना होगा यह राशि RTGS/NEFT/online जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सूरतगढ के पक्ष मे भारतीय स्टेट बैंक सूरतगढ (फार्म का खाता संख्या 34056542572 IFC code No. SBIN0007774) में भी जमा कराई जा सकती है। नियम व शर्ते विभागीय वेबसाइट www.indiaseeds.com से भी प्राप्त किया जा सकता है। पैन कार्ड, पहचान पत्र, अन्य आवश्यक सबूतों आदि की प्रतिलिपि सहित जमा कराना होगा।

प्रबंधक(उ.)
कृते निदेशक

व्ययजंपसो	व्ययजंपसो
व्ययजंपसो	06/04/2018
ज्मदकमत बवबनसमदज ववूदसवकैजंतज वंजसध्जपसम	06/04/2018 9/30 लड
ज्मदकमत बवबनसमदज ववूदसवकै म्दक वंजसध्जपसम	26/04/2018 01/00 चड
वंजस दक जपसम वित नइसपैपवद वविसिपदम इपक	08.04.2018 9/30 लड
	28.04.2018 02/30 चड
वंजस दक जपसम वविवचमदपदह वविसिपदम	28.04.2018 03/00 चड
सवकम ज छैबै नतंजहंती	
ज्मदकमत इमम;ज्व इम क्मचवैपजमक वसिपदमद	रे 200/00 ; रेण सूचीनदकतमक वदसलद
म्हद ;ज्व इम क्मचवैपजमक वसिपदमद	रे 10000/00 ;क्पहहप. 1 जव 3द्वंवी व्पहहप
क्ककतयै वित बससुनदपबंजपवद	वळड ;इंतसद ब्मदजतंसैजंजम इंतसए नतंजहंती
	छंज्पवदंसैमके ब्मचवतंजपवद स्जकण . 335804
बदजंबज च्मतेवद ;पजी चैवदम छव - म्दंससद	कंरंदकैपदही लंदंमत ;चद 8239107997
	म.संपस प्क हवणवैनेतंजहंती/हसंपसणवस

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का संस्थान)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राज.)

फार्म में कच्ची/पक्की डिग्गीयो में मछली पालने व पकड कर बेचने के लिए खुली बोली/निविदा नीलामी हेतु नियम व शर्ते

1. केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ के अधिकार में उपलब्ध निम्न लिखित कच्ची/पक्की डिग्गीयो में मछली पालने व पकडकर बेचने हेतु 2 वर्ष की अवधि (कार्य आदेश जारी करने की तिथि से) का ठेका निश्चित किया गया है । ठेके पर देने हेतु डिग्गीयो का विवरण निम्न प्रकार है :-

ठेका न0	डिग्गीयो का प्रकार	ब्लॉक/चक संख्या	डिग्गीयो का आकार (मीटर में)	डिग्गीयो की संख्या	धरोहर राशि रूपयों में
1	कच्ची डिग्गी	खण्ड-2 (चक 3 आरपीएम)	100 x 100 x 3.50	01	10000/-
2	कच्ची डिग्गी	खण्ड-2 चक 33 पीबीएन (मुर्गी खाना)	50 x 50 x 3.50	01	10000/-
3	पक्की डिग्गी	खण्ड-3 चक 5 एसजीएम	48 x 48 x 4.5	01	10000/-
4	पक्की डिग्गी	खण्ड-3 चक 5 एसजीएम	100 x 50 x 4.5	01	10000/-
5	पक्की डिग्गी	खण्ड-3 चक 4 एसजीएम	50 x 50 x 4.5	01	10000/-
6	पक्की डिग्गी	खण्ड-3 चक 4 एसजीएम	48 x 48 x 4.5	01	10000/-
7	पक्की डिग्गी	खण्ड-3 चक 4 एसजीएम	48 x 48 x 4.5	01	10000/-

2. 1 से लेकर 7 तक लिए धरोहर राशि रु. 10,000/- प्रत्येक डिग्गी की , तथा रु0 236.00 टेन्डर फीस का डी डी जो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड जो कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया , सूरतगढ़ के नाम से देय हो फार्म के खजार्ची के पास जमा कराना होगा। धरोहर राशि,कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के बाद बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी।
- 3 धरोहर राशि के लिये चैक या लिफाफे में रखी गयी नगद राशि मान्य नहीं होगी साथ ही यदि धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट निश्चित राशि से कम जमा कराया जाता है तो निविदा को भी निरस्त किया जा सकता है।
4. निविदादाता को निविदा जमा कराने के पश्चात् उसे वापस लेने या दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा।
- 5 मछली पालन का कार्य 2 वर्ष (कार्य आदेश जारी करने की तिथि से) के लिए दिया जायेगा। अन्तिम तिथि के पश्चात ठेकेदार का सम्बन्धित डिग्गीयो पर कोई अधिकार नहीं होगा।

- 6 सफल बोलीदाता/निविदादाता की बोली समाप्त होते ही स्वीकृत राशि की 25 प्रतिशत राशि 7 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी, 50 प्रतिशत अगले 30 दिवस में तथा शेष बची राशि 60 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी। सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा प्रथम चौथाई राशि जमा कराने के बाद अन्य निविदादाताओं की अमानत राशि लौटाई जायेगी।
- 7 सफल निविदा/बोलीदाता को निविदा राशि का 10 प्रतिशत की दर से प्रतिभुति राशि 15 दिवस में जमा करानी होगी जो कि ठेका समाप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारी की संस्तुति पर बिना ब्याज वापिस कर दी जायेगी।
- 8 सफल निविदा/बोलीदाता द्वारा ठेका किसी अन्य ठेकेदार को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- 9 निविदादाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 10 निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एवम् फैक्स व पत्र/ईमेल मान्य नहीं होगा।
- 11 ठेकेदार द्वारा मछली पालने पकड़न और रखवाली करने के लिए जो आदमी लगाये जाएंगे उनकी सूची पते सहित इस कार्यालय को देनी होगी। इस कार्यालय द्वारा सामयिक आज्ञा-पत्र जारी किया जाएगा। आज्ञा-पत्र के बिना कोई भी व्यक्ति फार्म में मछली पकड़ने हेतु दाखिल नहीं होगा।
- 12 डिग्गीयों में मछली का बीज डालने, पालन-पोषण, उसकी समस्त देखभाल करने तथा सुरक्षा करने व अन्य समस्त कार्यों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- 13 अपनी डिग्गीयो मे मछली का बीज डालन हेतु फार्म की हैचरी से बीज खरीद कर डाला जा सकता है
- 14 ठेकेदार को मात्र ठेके पर दिये गये डिग्गीयो से ही मछली पकड़ने का अधिकार होगा। फार्म में अन्यत्र असम्बन्धित गतिविधियां,कार्यकलापों में व्यवधान/हस्तक्षेप,आग जलाना,मवेशी पालना,कोई निर्माण कार्य या फार्म के संसाधन का अनाधिकृत प्रयोग आदि समस्त कार्य जो भी उसके ठेके से सम्बन्धित न हो उनमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्त होने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर फार्म प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया गया जुर्माना अदा करना होगा तथा/अथवा उसका ठेका निरस्त कर उसका फार्म में प्रवेश निषेध किया जा सकता है तथा इस दशा में उसकी समस्त जमा राशियां जब्त कर ली जायेगी।
- 15 यदि मछली पालने पकड़ने पर टैक्स/चूंगी या कोई भी कर, परमिट आदि लागू होगा तो उसका प्रबन्ध/ भुगतान ठेकेदार को स्वयं ही अपने खर्च पर करना होगा।
- 16 डिग्गीयों में पानी की व्यवस्था फार्म द्वारा की जायेगी किन्तु साधारणतय डिग्गीयों में संचयित पानी में से ऊपर से लगभग 5 फीट स्तर तक का पानी फसल उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता रहेगा। शेष बचा हुआ पानी 5 फीट स्तर तक डिग्गी में पानी मछली उत्पादन के लिए बना रहेगा किन्तु नहर बन्दी अथवा नाली फ्लड समय पर न आने से डिग्गी में पानी का स्तर यदि 5 फीट से कम होता है तो इसके लिए फार्म प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठेकेदार स्वयं के माध्यम से अपनी डिग्गी मे उचित पानी की व्यवस्था कर सकता है ।
- 17 ठेकेदार को ठेके पर दिये गये डिग्गीयो में पानी की सतह कम या अधिक होने या सूख जाने के कारण मछली न होने या न पकड़ सकने के कारण तथा अन्य किसी प्राकृतिक व अप्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान आदि के लिये किसी प्रकार का हर्जाना अथवा मुआवजा या छूट प्राप्त करने हेतु किसी न्यायलय में दावा आदि करने का अधिकार नहीं होगा।
- 18 मतस्य बीज संग्रहण,मछली पालन एवम पकड़ना,मछली फार्म से बाहर ले जाना इत्यादि सभी कार्य दिन के उजाले में ही करने होंगे। रात्रि में मात्र मछलियों की

- सुरक्षा हेतु प्रतिनिधि रखने का अनुरोध सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त ही स्वीकार किया जा सकता है।
- 19 किसी भी वाहन द्वारा मछली की ढुलाई करने हेतु फार्म के सम्बन्धित अधिकारी का गेट पास अनिवार्य होगा।
 - 20 मछली पकड़ने के लिए जाल की व्यवस्था तथा इन्हें लाने ले जाने के लिए परिवहन का प्रबन्ध ठेकेदार को करना होगा।
 - 21 ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पत्ति तथा फसलों को नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
 - 22 ठेकेदार को मतस्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी तथा निविदादाता को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मीन अधिनियम 1953 व 1958 तथा समय समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत बनायी गयी सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा।
 - 23 ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म में किसी प्रकार का शिकार या जंगली जानवरों को मारने, घायल करने या परेशान करने का कार्य निषिद्ध है। ऐसा करने पर वे स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा कानून के अनुसार दण्ड के भागी होंगे।
 - 24 ठेकेदार द्वारा फार्म के नियम व शर्तों की पालना नहीं करने पर उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा। तथा ठेकेदार की धरोहर राशि व अन्य जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
 - 25 निविदा/बोलीदाता द्वारा अपने पहचान पत्र/राशन कार्ड तथा पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी। अपूर्ण पते के अभाव में यदि कोई पत्र आदि सूचना निविदा/बोलीदाता के पास नहीं पहुंचती है तो फार्म की जिम्मेवारी नहीं होगी।
 - 26 फार्म अधिकारी को निविदा/निलामी को बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
 - 27 यदि ठेकेदार का आचरण उचित न हो या फार्म के हित में न हो तथा उसे बार बार चेतावनी देने पर भी वह ठेके की शर्तों का पालन न करता हो तब ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि ठेके की शर्त संख्या 23 के अनुसार ठेका निरस्त कर ठेकेदार को निश्चित अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट कर निगम के फार्मों पर ठेके लेने के अयोग्य घोषित कर दें।
 - 28 विलम्ब से जमा की जाने वाली राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अधिकतम एक माह तक के लिए ब्याज सहित पूर्ण रकम जमा करने का समय होगा। निर्धारित समय सीमा तक राशि जमा न करने पर समस्त जमा राशि (मय धरोहर राशि) को जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। इसके बाद पुनः निविदा/निलामी में यदि कम निविदा दर आने पर नुकसान होता है तो उसकी ठेकेदार से भरपाई की जायेगी।
 - 29 रु.500/- के स्टाम्प पर नियम व शर्तों का अनुबन्ध मय दो गवाहों के हस्ताक्षर के साथ देना होगा।
 - 30 यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के

न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

घोषणा:-

मैंने फार्म में मछली फार्म में मछली पालने पकड़कर बेचने के ठेके की **खुली बोली/निविदा** निविदा-सह-निलामी की शर्तें पढ़ ली हैं। उक्त सभी शर्तें मुझे मान्य हैं तथा हस्ताक्षर मैंने अपनी रजामन्दी से, बिना किसी दबाव के पूर्ण होशोहवास में किये हैं। मेरे द्वारा सभी शर्तें स्वीकार की गई हैं तथा यह शर्तें केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी।

निविदा/बोलीदाता केहस्ताक्षर

नाम एवं पूरा पता.....



.....

.....

स्थान.....

दिनांक.....

.....

 <p>नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकारका उपक्रमलघुरत्न कंपनी) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509-223873 ई-मेल ago.csfsuratgarh@gmail.com</p>	<p>NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar Phone : 01509-223873</p>	
--	--	---

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़

निविदा प्रपत्र

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक निविदा भेजने हेतु पता:- सहायक महाप्रबन्धक(फार्म) केन्द्रीय राज्य फार्म,सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

निविदा खोलने की दिनांक:----- -स्थान:- केन्द्रीय राज्य फार्म,सूरतगढ़

विषय:- केन्द्रीय राज्य फार्म,सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में उपरोक्त निविदा विज्ञप्ति में सन्दर्भित निम्नलिखित कच्ची डिग्गीयों को मछली पालने पकडकर बेचने हेतु 2 वर्ष की अवधि के लिये ठेके पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता का नाम :-.....
2. पिता/पति का नाम :-.....
3. पूरा पता :-.....
.....
.....
4. दूरभाष/मो0 नम्बर :-.....
5. पैन नम्बर :-.....(प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. पहचान पत्र नम्बर(वोटर आई डी,आधार कार्ड आदि).....
(प्रतिलिपि संलग्न करें)

7. निविदा शुल्क(रु0 236/-) रसीद संख्या.....दिनांक.....अथवा
डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....

निविदा राशि प्रस्ताव (टेण्डर ऑफर)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में सन्दर्भित निम्नलिखित कच्ची डिग्गीयों को मछली पालने व पकडकर बेचने हेतु 2 वर्ष की अवधि के लिये ठेके पर लेने हेतु दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है:-

डिग्गी न0	डिग्गीयो का प्रकार	ब्लॉक/चक संख्या	डिग्गीयो का आकार (मीटर में)	डिग्गीयो की संख्या	दर जो ठेकेदार के द्वारा फार्म को दी जायेगी (रूपये में)
1	कच्ची डिग्गी	खण्ड-2 (चक 3 आरपीएम)	100 x 100 x 3.50	01	
2	कच्ची डिग्गी	खण्ड-2 चक 33 पीबीएन	50 x 50 x 3.50	01	

		(मुर्गी खाना)			
3	पक्की डिग्गी	खण्ड-3 चक 5 एसजीएम	48 x 48 x 4.5	01	
4	पक्की डिग्गी	खण्ड-3 चक 5 एसजीएम	100 x 50 x 4.5	01	
5	पक्की डिग्गी	खण्ड-3 चक 4 एसजीएम	50 x 50 x 4.5	01	
6	पक्की डिग्गी	खण्ड-3 चक 4 एसजीएम	48 x 48 x 4.5	01	
7	पक्की डिग्गी	खण्ड-3 चक 4 एसजीएम	48 x 48 x 4.5	01	

निविदादाता के हस्ताक्षर
(नाम व पूरा पता)

.....

धरोहर राशि का विवरण:-

निविदा विज्ञप्ति के अनुसार जमा किये गये/किये जाने वाली राशि का विवरण:-

डिग्गी नम्बर	बैंक ड्राफ्ट न० एवं दिनांक	जारी करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा का पता	धरोहर राशि रूपयों में (अकों व शब्दों में)

(उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किये जायें)

मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त निविदा की सभी शर्तें पढ़ व समझ ली है। मुझे/हमें सभी शर्तें मान्य है। शर्तों की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर कर तथा संलग्न कर पूर्ण सहमति से निविदा प्रेषित हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(नाम व पूरा पता)

.....